राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक 1(3) ग्रावि / नरेगा / बजट घोषणा / 2010 जयपुर, दिनांकः–

26 MAR 2010

जिला कलेक्टर एंव जिला कार्यक्रम समन्वयक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के पदों के संबंध में।**

संदर्भः **विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 10.02.2010**

महोदय,

विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन संविदा के आधार पर लगाये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.02.2010 द्वारा जारी किये गये थे। कुछ जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान द्वारा इस संबंध में फर्मो / ऐजेन्सियों के माध्यम से नियोजन हेतु मार्ग दर्शन चाहा गया है। इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये जाते है :–

1 कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन के लिए जिला स्तर से ही निविदा / Negotiation के माध्यम से ही नियोजन आवश्यक नहीं है बल्कि ब्लॉक स्तर पर अथवा ग्राम पंचायतों के कलस्टर स्तर पर भी फर्मो / ऐजेन्सियों के माध्यम से सेवाऐं ली जा सकती है।

2 उक्त संदर्भित पत्र में वणित फर्म केवल मात्र सुझावात्मक है ना कि इन फर्मो के माध्यम से ही सेवाऐं प्राप्त की जानी है। इस संबंध में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी पंजीकृत फर्म / ऐजेन्सी के माध्यम से नियमानुसार उक्त सेवाऐं ली जा सकती है, जैसा कि उक्त संदर्भित पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित है।

3 ब्लॉक स्तर पर जो डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद स्वीकृत है एवं जिन पर पूर्व में कार्मिक के साथ सीधे ही अनुबंध के आधार पर सेवाऐं ली गई है। यदि उनका कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक है तो उनकी अनुबंध अवधि आगे बढाई जा सकती है। अनुबंध इस कार्यालय द्वारा दिनांक 19.02.2010 को प्रेषित नये प्रारूप में ही किये जायेगे। यदि ब्लॉक स्तर पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद रिक्त है तो अब इन पर भी कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन संविदा के आधार पर फर्म या सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से लगावे।

4 जिन जिलों में ग्राम पंचायतों के लिए कम्प्यूटर क्रय कर लिये है वहां पर केवल डाटा एन्ट्री ऑपरेटर लगाये जा सकते है। ये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर किसी पंजीकृत फर्म या सेवा ऐजेन्सी के माध्यम से लगाये जा सकते है। इनकी कम से कम संविदा राशि न्यूनतम वेतन तथा अधिकतम राशि रूपये 4000 / – होगी।

भवदीय,

24/3/10

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :– अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अतिरिक्त आयुक्त, ईजीएस (द्वितीय)